न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–26 / 2022
जीसीएमएस नं.–2022 / 51

जसप्रीतकौर पुत्र स्व. प्रीतमसिंह पत्नी परमजीतसिंह जाति रायसिख निवासी 3 एम एस आर डब्लयू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल चक 12 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

--- **प्रार्थीया**

बनाम्

1. जीतकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी राणीया धान मण्डी के पास सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

----**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित–
1. श्री हसंराज डाल एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
2. श्री जुल्फिकार एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 की ओर से

दिनांक :– 21/05/26

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 12 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का मुं.नं. –9 पं.नं.–254 / 393 के कि.नं.–4,7,14 प्रत्येक 0.253, 16 / 2 का 0.063 17 / 1 का 3.126 हैक्टर कुल 0.948 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रीतमसिंह पुत्र करतारसिंह जाति रायसिख निवासी 12 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा जाऐगा। जमाबंदी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया यहां यह स्पष्ट करता है कि मूल खातेदार प्रीतमसिंह पुत्र करतारसिंह द्वारा प्रथम शादी जगिन्द्रकौर के साथ की थी प्रीतमसिंह व उसकी प्रथम पत्नि जगिन्द्रकौर के कोई नरीना व मदीना औलाद नहीं थी। इसलिए प्रीतमसिंह व उसकी पत्नी जगिन्द्रकौर ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीया को उसकी बाल्य अवस्था में ही उसके प्राकृतिक माता पिता क्रमशः कौशल्याबाई व हरनामसिंह से पूरी बिरादरी एवं गॉव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में पूर्ण रिति रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था तथा प्रार्थीया को गोद लेते समय समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कर उपस्थित रिश्तेदारों एव गॉवं के लोगों में मिठाई बगैरा बॉटकर रिति रिवाज के अनुसार गोद लिया था और तथा प्रीतमसिंह व उसकी पत्नी ने यह भी परिवारवालों व समस्त उपस्थित मौतबीरान को कहा था कि आज के बाद जसप्रीतकौर दत्तक पुत्री प्रीतमसिहं के नाम [illegible] पक्षकारो ने प्रार्थीया को सहमति से गोद लिया व दिया था तब से प्रार्थीया प्रीतम[illegible] व [illegible]द्रकौर के पास ही बतौर पुत्री रह रही थी तथा प्रार्थीया का समस्त लालन पालन [illegible]मसिंह ने किया व प्रार्थीया की शादी भी प्रीतमसिंह द्वारा ही [illegible] प्रार्थीया के समस्त पहचान के दस्तावेज पिता प्रीतमसिंह के नाम से ही बने हुए है [illegible] इस प्रकार प्रार्थीया स्व. प्रीतमसिह की एक मात्र पुत्री विधिक वारिस है। इसी दौरान प्रीतमसिंह ने अपनी प्रथम पत्नी जगिन्द्रकौर की सहमति से अप्रार्थी सं.–2 जीतकौर के साथ विवाह कर लिया तब प्रीतमसिंह की दुसरी पत्नी जीतकौर ने भी प्रार्थीया को दत्तक पुत्री स्वीकार किया था चूकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रीतमसिंह व जीतकौर के भी कोई सन्तान नहीं थी और प्रार्थीया ही उनकी दतक पुत्री थी चूंकि प्रीतमसिंह ने प्रार्थीया को उसकी बाल्य अवस्था में ही मिठाई बगैरा बाटकर रिति रिवाज के अनुसार गोद लिया था जिसका पंजीयन उस वक्त नहीं करवाया जा सका था जिस पर दिनांक 11.05.2016 को बरोबरू गवाहन प्रार्थीया की प्राकृतिक माता कौशल्याबाई व प्रीतमसिंह तथा जीतकौर ने एक दस्तावेज गोदनामा प्रार्थीया के पक्ष में लिखवाकर उसे सुन–समझकर सही मानकर अपनी अपनी फोटो चस्पाकर व अपने अपने हस्ताक्षर अगुंठे अंकित कर निष्पादित कर उप पंजीयक अनूपगढ़ में पजीबद्ध करवाकर दिया था जिसमे यह अंकित करवाया कि आज के बाद जसप्रीतकौर दतक पुत्री प्रीतमसिंह जाति रायसिख निवासी 12 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ के नाम से जानी जावेगी और दत्तक पुत्री अपने प्राकृतिक माता पिता के परिवार के तमाम अधिकारों दायित्वों से मुक्त हो चुकी है तथा अब वह दत्तक ग्रहिता माता पिता के परिवार के तमाम अधिकारों दायित्वो को प्राप्त लिया है और दोनों पक्षकारों ने प्रार्थीया को सहमति से गोद लिया व दिया था। प्रार्थीया के पिता प्रीतमसिंह की मृत्यू दिनाक 04.05.2018 को हो चुकी है तथा प्रीतमसिंह की प्रथम पत्नी जागिन्द्रकौर की मृत्यू भी दिनांक 31.01.2019 को हो चुकी है। प्रार्थीया के माता पिता प्रीतमसिंह व जागिन्द्रकौर की मृत्यु के उपरांत एक साल बाद ही प्रीतमसिंह की दुसरी पत्नी यानि अप्रार्थी सं.–1 ने जसविन्द्रसिंह निवासी राणिया तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) के साथ शादी कर ली और अब अप्रार्थी सं.–1 जीतकौर जसविन्द्रसिंह के साथ बतौर पत्नी उसके निवास स्थान पर रह रही है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.–1 द्वारा दुसरी शादी कर लेने से स्व. प्रीतमसिंह की उक्त विवादित कृषि भूमि में समस्त हर अधिकार समाप्त हो चुके है व वह स्व. प्रीतमसिंह की भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है तथा विवादित भूमि के समस्त हक अधिकार, अधिपत्य व स्वामित्व स्व. प्रीतमसिंह की एक मात्र पुत्री प्रार्थीया में निहित हो चुके है व प्रार्थीया मृतक खातेदार स्व. प्रीतमसिंह की एक मात्र पुत्री होने के नाते प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता के देहान्त के बाद प्रार्थीया को एक मात्र प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस होने के नाते विरास्तन प्राप्त हुई है प्रार्थीया अपने पिता प्रीतमसिंह के जीवनकाल से पिता के साथ उक्त विवादित भूमि पर काबिज थी तथा पिता के देहान्त उपरांत विवादित भूमि प्रार्थीया के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है समस्त हक अधिकार प्रार्थीया में निहित हो चुके है। चूंकि अप्रार्थी सं.–1 ने स्व. प्रीतमसिंह के देहान्त उपरांत जसविन्द्रसिंह के साथ दुसरी शादी कर ली है जिस कारण अप्रार्थी सं.–1 के स्व. प्रीतमसिंह के नाम की उक्त विवादित भूमि में समस्त हक अधिकार समाप्त होकर प्रार्थीया में निहित हो चुके है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 तब लालचवश प्रार्थीया को उसके हक अधिकारों से वचित करने के लिऐ व स्व. प्रीतमसिंह के नाम की कृषि भूमि को हड़पने के प्रयासरत है और इसी उद्देश्य से ही अप्रार्थी सं.–1 ने अरसा 20 दिन पूर्व प्रार्थीया को यह धमकी दी कि स्व. प्रीतमसिंह की जमीन में उसका हिस्सा बनता है इसलिए वह शीघ्र ही समस्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाकर प्रार्थीया को विवादित भूमि से जबरन बेदखल कर देगी और विवादित भूमि को अन्यत्रं हस्तांतरित रहन बैचान कर खुर्द बुर्द कर देगी। [illegible] प्रार्थीया तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष उपस्थित हुई और उन्हे विरासतन इन्तकाल प्रार्थीया [illegible] नाम दर्ज करने का कहा तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर [illegible]। विवादित भूमि प्रार्थीया को मृतक प्रीतमसिंह की एक मात्र पुत्री [illegible] विरास्तन विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हुई है जो निरन्तर प्रार्थीया के [illegible]धिकार व अधिपत्य में चली आ रही है तथा विवादित भूमि के समस्त हक अधिकार व अधिपत्य प्रार्थीया में निहित हो चुके है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 लालचवश विवादित भूमि को हडपने के उदेश्य से जबरन विवादित भूमि से प्रार्थीया को बेदखल कर विवादित भूमि को अन्यत्र रहन बैचान कर खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

बुर्द करने पर उतारू है यदि अप्रार्थी सं.–1 अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गई तो प्रार्थीया अपने हक अधिकारों से महरूम हो जावेगी जिससे प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नही हो सकेगी इसलिऐ प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि अप्रार्थी सं.–1 विवादित भूमि वाके चक 12 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–9 पं.नं.– 254/393 के कि.नं.–4, 7, 14 प्रत्येक 0.253, 16/2 का 0.063, 17/1 का 0.126 हैक्टर कुल 0.948 हैक्टर पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त में वा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदालखत पैदा करने व करवाने से तथा उक्त विवादित भूमि को अन्यंत्र, हस्तान्तरित, रहन दान, बैय करने से बाज व ममनू रहे तथा अप्रार्थीगण विवादित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की वर्तमान स्थिति बनाए रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रीतम सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख निवासी 14 एपीडी कमरानिया, तहसील अनूपगढ़ की दो शादियों हुई थी। पहली पत्नि जगिन्द्र कौर थी जो लाऔलाद फौत हो गई थी। दूसरी पत्नि अप्रार्थी सं.–1 जीतकौर है। जो हाल जीवित है। इसके भी कोई औलाद नहीं है। स्व. प्रीतम सिंह व उसकी दूसरी पत्नि अप्रार्थीया संख्या 1 जीत कौर ने दिनांक 11.05.2016 को प्रार्थीया जसप्रीत कौर को गौद लिया था जिसका दिनांक 11.05.2016 को प्रीतम सिंह व जीत कौर दोनों ने सहमति से एक रजिस्टर्ड गौदनामा उप पंजीयक अनूपगढ़ से रजिस्टर्ड करवाया था। जिसको प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है व इसी आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थीया एक तरफ तो रजिस्टर्ड गौदनामा स्वीकार करती है व उसके आधार पर ही स्व. प्रीतम सिंह की जीत कौर को पत्नि होना मानती है। दूसरी तरफ अपने आप को स्व. प्रीतम सिंह की अकेली विधिक वारिस मानती है। जब गौद लेने वाली माता अप्रार्थीया जीत कौर जीवित बैठी है तो उसके जीते जी प्रार्थीया अकेली विधिक वारिस कैसे हो सकती है। विधिनुसार आज रोज दत्तक पुत्री प्रार्थीया, व पत्नि अप्रार्थीया जीत कौर दोनों ही विधिक वारिस है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व विधिविरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी का है। प्रार्थीया के मन में लालच व बेईमानी आ गई है। प्रार्थीया स्व. प्रीतम सिंह के नाम की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि अकेली हड़प करना चाहती है। जब तक अप्रार्थीया जीत कौर जीवित बैठी है। तब तक प्रार्थीया अकेली विधिक वारिस होने का अधिकार नहीं रखती है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए हमारे समक्ष [illegible] है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना [illegible] वर्णित किया है कि मुल खातेदार प्रीतमसिंह पुत्र करतारसिंह [illegible] थी प्रीतमसिंह व उसकी प्रथम पत्नि जगिन्द्रकौर [illegible] औलाद नहीं थी इसलिए प्रीतमसिंह व उसकी पत्नी जगिन्द्रकौर ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीया को उसकी बाल्य अवस्था में ही उसके प्राकृतिक माता पिता क्रमशः कौशल्याबाई व हरनामसिंह से पूरी बिरादरी एवं गाव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में पूर्ण रिति रिवाज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अनुसार गोद ले लिया था। अप्रार्थीया सं.–1 ने अभिकथन किया कि प्रार्थीया एक तरफ तो रजिस्टर्ड गौदनामा स्वीकार करती है व उसके आधार पर ही स्व. प्रीतम सिंह की जीत कौर को पत्नि होना मानती है। दूसरी तरफ अपने आप को स्व. प्रीतम सिंह की अकेली विधिक वारिस मानती है। जब गौद लेने वाली माता अप्रार्थीया जीत कौर जीवित बैठी है तो उसके जीते जी प्रार्थीया अकेली विधिक वारिस नही हो सकती है। विधिनुसार आज रोज दत्तक पुत्री प्रार्थीया, व पत्नि अप्रार्थीया जीत कौर दोनों ही विधिक वारिस है। अप्रार्थीया सं.–1 को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद और निर्बन्धित करवाने के प्रार्थीया कतई अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीया को ज्यादा असुविधा होगी एवं अप्रार्थीया कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीया के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीया अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रही है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीया अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे अप्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के विरूद्ध तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20/05/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:58 IST
Reason: SelfAttested